न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–117/2015 (जीसीएमएस नं. 2015/00037)

1. जगदीश,
2. मंगीलाल,
3. गोपाल,
4. डूँगरसी पुत्रान स्व. श्री ग्यारसा, समस्त जाति मीना निवासीगण ग्राम ढिंढोल, तहसील बस्सी जिला जयपुर, रजास्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती कल्ली पुत्र स्व. मोती पत्नी गुमान, जाति मीना, निवासी ग्राम ढिंढोल, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत लालगढ, जरिये सरपंच लालगढ पंचायत समिति बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. उगन्ती मीना पुत्री रामफुल मीना जाति मीना निवासी ग्राम ढिंढोल, तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान।
4. राकेश मीना पुत्र छोटूराम मीना जाति मीना निवासी 320 गोविन्दराम की ढाणी सेक्टर नम्बर 11 के पास, मालवीय नगर जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–118/2015 (जीसीएमएस नं. 2015/00050)

1. डूँगरसी पुत्र स्व. श्री ग्यारसा, जाति मीना निवासी ग्राम ढिंढोल, तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कल्ली पुत्र स्व. मोती पत्नी गुमान, जाति मीना, निवासी ग्राम ढिढोल, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत लालगढ, जरिये सरपंच लालगढ पंचायत समिति बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. उगन्ती मीना पुत्री रामफूल मीना जाति मीना निवासी ग्राम ढिंढोल, तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान।
4. राकेश मीना पुत्र छोटूराम मीना जाति मीना निवासी 320 गोविन्दराम की ढाणी सेक्टर नम्बर 11 के पास, मालवीय नगर जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश रूहेला, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अमिताभ भटनागर एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री विजय कुमार शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से

P.T.O.

अपील सख्याः—159/2015 (जीसीएमएस नं. 2015/00040)

1. अनोखी देवी पत्नी गेंदा,
2. जमना देवी पत्नी रामजीलाल, समस्त जाति मीना निवासी मीनों की ढाणी लाखना रोड़ ग्राम वाटिका तहसील संगानेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती कल्ली पुत्री स्व. मोती पत्नी गुमान, जाति मीना, निवासी ग्राम ढिंढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट

2. जगदीश,
3. मांगीलाल पुत्रान ग्यारसा,
4. गोपाल,
5. डूँगरसी समस्त जाति मीना, निवासीयान ग्राम ढिंढोल, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. ग्राम पंचायत लालगढ़ जरिये सरपंच लालगढ़ पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर।
7. उगन्ति मीना पुत्री श्री रामफुल मीना निवासी ग्राम ढिंढोल, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
8. राकेश मीना पुत्र श्री छोटूराम मीना निवासी 320, गोविन्दराम की ढाणी, सैक्टर 11 के पास, मालवीय नगर जयपुर।

——परफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री विशाल दिनकर, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अमिताभ भटनागर एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री राजेश रूहेला एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 की ओर से
4. श्री विजय कुमार शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 21.12.2021

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण द्वारा यह तीनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर. द्वारा उनकी अपील संख्या 16/2012 (नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 16.05.1982) व अपील संख्या 17/2012 (नामान्तरकरण संख्या 67 दिनांक 01.09.1983) एवं अपील संख्या 19/2012 (नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 05.09.2012) के संदर्भ में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

न्यायालय हाजा की अपील संख्या 117/2015 एवं 118/2015 के अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट कल्ली देवी द्वारा प्रस्तुत अपीले को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा लालगढ में अटल सेवा केन्द्र पर गुणावगुण पर बिना पक्षकारान के अधिवक्ता व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 16.05.1982 एवं नामान्तरकरण संख्या 67 दिनांकक 01.09.2012 को विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यो का भली भांति परीशीलन नही कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2015 पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्ली देवी द्वारा प्रस्तुत अपीले को दिनांक 23.05.2015 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प लालगढ में सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि राजस्व लोक अदालत का एकमात्र उद्देश्य पक्षकारों के मध्य आपस में समझाईस कर प्रकरणों को निस्तारण करना होता है किन्तु हस्तगत प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा ना तो पक्षकारों के मध्य समझाईस का प्रयास किया गया, और ना हीं इस सम्बन्ध में कोई वरडिक्ट ही अपने अपीलाधीन निर्णय में दिया बल्कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलें गुणदोषो पर बिना पक्षकारों व पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2015 पारित किया गया है, जो निर्णय लोक अदालत की भावना के निर्णय की तारीफ में नही आता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आदेश खुले न्यायालय में पक्षकारों व पक्षकारों के अधिक्ताओं को सुनवाई कर पारित किया जा सकता है। राजस्व कैम्प व लोक अदालत में कोई भी आदेश मात्र आपसी समझाईस व राजीनामे के आधार पर ही पारित किया जाता है। अगर कोई निर्णय बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया जाता है तो वह विधिक रूप से निर्णय की तारीफ में नही आता है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(क) की तारीफ में नही आता है तथा राज्य सरकार द्वारा पारित परिपत्र दिनांक 28.04.2015 06.05.2015 व 05.05.2015 की पालना भी अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई है। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2015 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि स्वीकृत रूप से स्व. मोती के कोई औलाद नही थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोती की लड़की नही थी बल्कि ग्यारसा की लड़की थी तथा अपीलान्ट के पिता ग्यारसा के ही सामाजिक रिति–रिवाजों व प्रथा के अनुसार स्व. मोती की मृत्य के बाद पगड़ी बंधी थी तथा स्व. ग्यारसा ने ही बतौर पुत्र स्व. मोती के सारे क्रिया कलाप किये थे व सामाजिक रूप से ग्यारसा को स्व. मोती के पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया था इसलिये स्व. मोती की मृत्यु के बाद जो नामान्तरकरण

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खोले गये है व विधि अनुसार है जिनको चुनौती देने का कोई अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्ली को कानूनन नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुसूचित जनजाति की होने के बावजूद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पैतृक सम्पत्ति में हक व अधिकार प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी होना माना है जबकि प्रथमतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व. मोती की सन्तान नही थी तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू नही होते है। केवल प्रथा व रूडी के आधार पर वारिसान को सम्पत्ति में अधिकार मिलता है तथा स्व. ग्यारसा जो कि अपीलान्ट के पिता थे को नियमानुसार समाज के पंच–पटेलों की मौजूदगी में स्व. मोती का एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी होना माना था व उसी के आधार पर विवादित नामान्तरकरण खोले गये है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने का अधिकार नही है। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं खिलाफ कानून व तथ्य पत्रावली होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्त अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया, ना इस बात की जॉच की कि अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता स्व. ग्यारसा का विवादित भूमि पर सन् 1982 से बतौर मालिक कब्जा काश्त रहे है तथा काश्तकार उपयोग–उपभोग के फायदा उठाते रहे है तथा सन् 1982 से पूर्व की भूमि पर स्व. मोती के जीवनकाल में भूमि पर स्व. मोती काश्त करते रहे है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजों को परीशीलन किये व कब्जे व मौके की जॉच के बिना मनमाने तौर पर कानून की धज्जिया उड़ाकर कानून की पालना किये बिना तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्णय पारित नही कर गलती की है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश मनमाना व कॉन्टॅरी लॉ होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को इस बात की भली भांति जानकारी थी कि पक्षकरों के मध्य विवादग्रस्त भूमि के बाबत राजस्व न्यायालय में नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है उक्त राजस्व वाद में पक्षकारों के हित तय होने है उसके उपरान्त भी उक्त समरी प्रोसिन्डिग प्रचालन कर अधीनस्थ न्यायालय जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरसतनीय है। अतः अपीलें अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2015 को अपास्त किया जावें तथा नामान्तरकण संख्या 46 दिनांक 16.05.1982 एवं नामान्तरकरण संख्या 67 दिनांक 01.09.1983 की स्थिति रेस्टोर किये जाने के आदेश फरमाये जाने की महती कृपा करें।

न्यायालय हाजा की अपील संख्या 159/2015 के अपीलार्थीगण अनोखी देवी व जमना देवी के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बरान 104 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 2 बिसवा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम ढिंढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर को अपील संख्या 159/2015 के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेट संख्या 2 लगायत 5 से राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर कब्जा काश्त को दृष्टिगत रखते हुए जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2012 को क्रय कर कब्जा भूमि का प्राप्त किया था। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त अपील दिनांक 31.08.2012 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं के पिता स्व. मोती की पुत्री होना अभिकथित कर प्रस्तुत की तथा इससे पूर्व के नियमित वाद बाबत घोषणा एवं विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 29.08.2012 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अभिकथित किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व. मोती की जाईन्दा पुत्री होना स्वीकार नही किया था एवं यह सब नियमित वाद में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उपरान्त ही तय होना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नियमित वाद के विचाराधीन होने के उपरान्त वाद को नजरअन्दाज कर संक्षिप्त जॉच में शपथ पत्रों के आधार पर बिना अपीलार्थीगण की सुनवाई का अवसर दिये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि गुमान मीना की विवाहिता है उसको स्व. मोती की वारिस होना मानकर अपीलार्थीगण द्वारा क्रय की गई भूमि में भी उसका हिस्सा 1/2 मानकर अपीर्थीगण के हक में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने में कानूनी एवं वाकयाती भूल की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्ली को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पैतृक सम्पत्ति में सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के अनुरूप हक व अधिकार होना मानकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्ली द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2015 निरस्तनीय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2015 निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 05.09.2012 बहाल फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि ग्राम ढिंढोली तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 64 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 128 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरा 7, कुल रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा के हिस्सा 1/2 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्ली के पिता स्व. मोती पुत्र छोटया उर्फ जगन कौम मीना की कब्जे एवं खातेदारी की भूमि अन्य दीगर भूमि के साथ रही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता मोती का देहावसान वर्ष 1979 को हो गया एवं स्व. मोती के कोई पुत्र सन्तान नही थी, उसके एकमात्र पुत्री सन्तान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्ली है। उन्होने आगे कथन किया है कि स्व. मोती की मृत्यु के पश्चात् उनकी समस्त विरासत का नामान्तरकरण उनकी एकमात्र जाईन्दा पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्लीदेवी के नाम स्व. मोती की

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस उत्तराधिकारी होने कारण हिन्दू लॉ के तहत नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था परन्तु अपील संख्या 117/2015 व 118/2015 के अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता ग्यारसा पुत्र छोटया ने सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ व राजस्व कर्मचारियों से साज कर मोती की विरासत का नामान्तरकरण उसकी विधि वारिस के नाम तस्दीक न करके अपने नाम अवैध रूप से फर्जकारी कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता मोती को नाऔलाद फौत बताते हुए तथा लड़का व लडकी न होना बताते हुए अपने नाम ग्यारसा पुत्र छोटू ने तस्दीक करा लिया जबकि अपीलान्ट डूँगरसी पुत्र ग्यारसा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्ली के पिता की भूमि खसरा नम्बर 142/7 रकबा 13 बीघा वाके ग्राम ढिंढोल का नामान्तरकण संख्या 67 दिनांक 01.09.1983 को फर्जी पुत्र बनकर अपने नाम दर्ज करवा लिया जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट एवं उनके पिता ने षड़संत्र रचकर फर्जकारी कर झूँठे दस्तावेज तैयार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता मोती की चल–अचल सम्पत्ति को हड़पने के लिऐ फर्जकारी की है तथा एक ओर अपीलान्ट मोती पुत्र छोटू के कोई सन्तान नही होना बताते है वही दूसरी और डूँगरसी उसका पुत्र बनकर नामान्तरकरण तस्दीक करवा रहा है जो षडयंत्र का स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है तथा उक्त फर्जकारी में अपीलान्ट्स के भ्रातागण एवं पिता ग्यारसा पुत्र छोटू उर्फ छोटया भी सम्मिलित था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता की विरासत का नामान्तरकरण सख्या 46 व 67 बिना वारिसान की जॉच किये एवं साजिशाना तौर पर मिलीभगत कर स्वीकार कराये गये है जो अवैध नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी होने से निरस्तनीय ही थे उक्त नामान्तरकरण व उक्त फर्जकारी की जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीले प्रस्तुत की गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में मौजूद लोगो से प्रकरण मे विस्तृत जॉच–पड़ताल करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपीलान्ट्स की तीनों अपीलें खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से अपीलाधीन भूमि में से खसरा नम्बर 130 व 134 रेस्पोडेन्ट के हिस्सा 1/2 में 240/287 यानि कुल 6 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2015 को रेस्पोडेन्ट उगन्ती व खसरा नम्बर 64 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2015 को रेस्पोडेन्ट राकेश मीना ने प्रतिफल अदा कर क्रय किया गया है तथा उक्त क्रयशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 64 की जमाबन्दी में जरिये नामान्तरकरण संख्या 491 दिनांक 18.06.2015 को क्रेता राकेश मीना व खसरा नम्बर 130 व 134 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 490 दिनांक 18.06.2015 द्वारा क्रेती उगन्ती मीना का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मे दर्ज व अंकित किया जा चुका हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 उगन्ति मीना व राकेश

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मीना की क्रयशुदा भूमि की हद तक उनके हक हकूक अधिकारों को संरक्षित रखा जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 16/2012 में दिनांक 05.05.2015 को आगमी तारीख पेशी दिनांक 30.06.2015 नियत की गई है तथा नियत तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 23.05.2015 को पत्रावली लोक अदालत में तलब कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 17/2012 को भी कैम्प राजस्व लोक अदालत में नियत कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 19/2012 मृतक रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ग्यारसी देवी का नाम हजफ हेतु नियत थी जिसमें भी दिनांक 23.05.2015 को लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में केवल पक्षकारान की सहमति व राजीनामें के आधार पर प्रकरणें का निस्तारण किये जाने के प्रावधान है किन्तु हस्तगत तीनों प्रकरणों में पक्षकारान की सहमति से प्रकरण लोक अदालत में नियत करने सम्बन्धी तथ्य या पक्षकारान को प्रकरणों को लोक अदालत में नियत करने की सूचना दिया जाना भी पत्रावली में कही अंकित नही है तथा पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा होने या आपसी सहमति से प्रकरण का निस्तारण कराने की सहमति इत्यादि भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिससें उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2015 को लोक अदालत की भावना के अनुरूप नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रभावित सभी पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विस्तृत जॉच इत्यादि के पश्चात् प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।